Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे नए कृषि कानून

संपादन

आदर्श तिवारी

रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

रिसर्च टीम

अभय सिंह

रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

मनुजम पांडेय

रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

डिजाइन

अजित कुमार सिंह

दिसम्बर 2020

**Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation**

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone:011-23005850

भूमिका

कृ भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कृषि क्षेत्र में सुधार लाने एवं अपने संकल्प (किसानों की आय दोगुनी) को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार के उद्देश्य से जो तीन कानून लाए गए हैं, वह आने वाले भविष्य में पूरी कृषि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले हैं. आंकड़ों के मुताबिक़ भारत की आबादी के लगभग 70 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं. इसलिए हमारे यहां उन्नत खेती की अति-आवश्यकता है. बढ़ती जनसँख्या के साथ-साथ कृषि उत्पादन भी बढ़ना चाहिए. आज के दौर में इस बात पर किसी भी नेता ने सर्वाधिक चिंतन किया है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं. 30 अगस्त 2020 को मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों की शक्ति से हमारा जीवन, हमारा समाज चलता है. हमारे पर्व किसानों के परिश्रम से ही रंग-बिरंगे बनते हैं. यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किसानों को लेकर संवेदनशील हैं. बात अगर तीनों क़ानून की करें तो राज्यों की अपनी किसान मंडियां होती हैं, जहां किसान अपनी उपज पारंपरिक रूप से बेचते आ रहे हैं. नई व्यवस्था के अंतर्गत अब किसान अपनी उपज को मंडियों से इतर किसी निजी कंपनी/सुपर मार्केट को भी बेचने के लिए अधिकृत हो जाएंगे. निश्चित रूप से किसानों को अपनी उपज की खरीद के लिए एक से अधिक विकल्प मिलेंगे. उनकी विक्रय करने की क्षमता में वृद्धि आएगी. किसानों को इस क़ानून का लाभ मिलना ही है. नए क़ानून किसानों को अन्तर्राज्यीय व्यापार करने को भी प्रोत्साहित करेंगे. जब एक राज्य का किसान दूसरे राज्य के किसान से संपर्क करेगा, अपनी उपज को लेकर क्रय-विक्रय करेगा तब निश्चय ही 'एक देश, एक बाजार' की अवधारणा पूरी होगी. जिसका संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है. कृषि मंडियों की ओर से वर्तमान में विभिन्न वस्तुओं पर 1 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक बाजार शुल्क लगता है, लेकिन

नए कानूनों के अंतर्गत अब राज्य के बाजारों के बाहर व्यापार पर कोई राज्य या केंद्रीय क़ानून नहीं लगेगा. इसके अलावा निजी कंपनियों और व्यापारियों को मंडी टैक्स का भुगतान करना होगा, किसानों को नहीं.बात यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हो तो इसमें भी किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है. कॉन्ट्रैक्ट केवल उत्पाद के लिए होगा. निजी एजेंसियों को किसानों के साथ कुछ भी अलग से करने की अनुमति नहीं होगी. उन्हें किसानों की भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कराने की अनुमति भी नहीं होगी. कुलमिलाकर देखें तो इन कानूनों से किसान और सशक्त होगा. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ने इस बुकलेट के माध्यम से इन तीनों कानूनों के सभी पहलुओं को सरल शब्दों में बताने के साथ-साथ देश के वरिष्ठ लेखकों एवं शोधार्थियों के विश्लेषणात्मक लेख भी शामिल किए हैं. हम इसके लिए सभी लेखकों के आभारी हैं.

डॉ अर्निबान गांगुली
निदेशक,
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

विषय सूची

1.	किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे नए कृषि कानून	6
2.	मोदी सरकार के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था में महती भूमिका निभाने को तैयार हो रहा कृषि क्षेत्र - **प्रहलाद सबनानी**	11
3.	विपक्ष द्वारा कृषि सुधार विधेयकों के विरोध की क्या है असली वजह? **- रमेश कुमार दूबे**	15
4.	पारित हुए कृषि सुधार विधेयक, किसानों के जीवन में आएगा नया सवेरा - **प्रणय कुमार**	19
5.	किसानों को सशक्त बनाने वाले हैं कृषि विधेयक, भ्रम फैलाना बंद करे विपक्ष - **अनुराग सिंह**	21
6.	किसानों की हालत बदलेंगे नए कानून - **सन्नी कुमार**	23
7.	किसानों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है मोदी सरकार **- राजीव प्रताप सिंह**	27
8.	मुद्दाहीन विपक्ष की बौखलाहट का परिणाम है कृषि कानूनों का विरोध **- नवोदित सक्तावत**	30
9.	कृषि सुधार विधेयकों के विरोध में वही तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो सीएए के खिलाफ अपनाए गए थे- **राजीव सचान**	32
10.	कृषि क्षेत्र का क्रमिक उदारीकरण, क्यों है ये बिल इतना जरूरी? **- मोहनदास पई और निशा होला**	35

किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे नए कृषि कानून

कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार ने 3 महत्वपूर्ण विधेयक संसद द्वारा पारित किए हैं. ये कानून आने वाले वर्षों में हमारे अन्नदाताओं को उनकी कृषि उपज का बाधा रहित व्यापार करने में सक्षम बनाएंगे और उन्हें अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़कर उपज को अपने अनुसार दामों पर देश के किसी भी राज्य में बेचने की आज़ादी प्रदान करेंगे और उन्हें बिचौलियों से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे. ये नरेन्द्र मोदी सरकार की किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने वाले अहम कृषि विधेयक हैं. केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्यापण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा संसद में लाए गए निम्नलिखित विधेयक इस प्रकार हैं-

1. **किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020**
2. **किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य(आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020**
3. **आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020**

1. किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 में एक पारिस्थिति की तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है. जिसमें किसान और व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम-बाजारों से बाहर निपुण, पारदर्शी और बाधारहित एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्य में व्यापार वाणिज्य तथा किसानों की उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार

चैनलों के माध्यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा.

देश में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए विभिन्न प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है. ये प्रतिबंध अधिसूचित एपीएमसी मार्केट यार्ड से बाहर कृषि उपज बेचने में किसानों के ऊपर लगाए गए थे. किसानों पर राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंस धारकों को ही अपनी उपज बेचने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था. इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए विभिन्न एपीएमसी विधानों की मौजूदगी को देखते हुए विभिन्न राज्यों के बीच कृषि उपज के बाधारहित आवागमन में भी अनेक बाधाएं मौजूद थीं. यह कानून देश में व्यापपक रूप से विनियमित कृषि बाजारों को बाधारहित बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है. यह किसानों के लिए अधिक विकल्प खोलेगा, किसानों के लिए विपणन लागत कम करेगा और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में भी मदद करेगा. यह कानून अधिक (सरप्लस) उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने और उत्पाद की कमी वाले क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उत्पादन मिलने में मदद करेगा.

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें.
- यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा.
- किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा.
- विधेयक किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा जिससे इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके.

- मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फॉर्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी.
- किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाए किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिलेगी.

विधेयक को लेकर शंकाएँ

- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की ख़रीद बंद हो जाएगी.
- कृषक कृषि उत्पाद यदि पंजीकृत बाजार समितियों (एपीएमसी मंडियों) के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी.
- ई-नाम जैसे सरकारी ई-ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा?

विधेयक संबंधी स्पष्टीकरण

- एमसपी पर पहले की तरह खरीद जारी रहेगी. किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे.
- मंडिया समाप्त नहीं होंगी, वहां पूर्ववत व्यापार होता रहेगा. इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा.
- मंडियों में ई-नाम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी.
- इलेक्ट्रानिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा. इससे पारदर्शिता आएगी और समय की भी बचत होगी.

2. किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 में कृषि समझौतों पर राष्ट्रीय ढांचे के लिए प्रावधान है, जो किसानों को कृषि व्यापार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषि सेवाओं और एक उचित तथा पारदर्शी तरीके से आपसी सहमत लाभदायक मूल्ये ढांचे में भविष्य में होने वाले कृषि उत्पादों की बिक्री तथा इसने जुड़े मामलों या इसके आकस्मिक मामलों में जुड़ने के लिए किसानों को संरक्षण देगा और उनका सशक्तिकरण भी करता है.
भारतीय कृषि की विशेषता भूमि के छोटी जोत के कारण हो रहा विखंडन हैं और इसकी मौसम पर निर्भरता, उत्पोादन की अनिश्चितताएं, बाजार की अस्थिरता जैसी कुछ कमजोरियां भी हैं. ये

कृषि लागत और उत्पानदन प्रबंधन दोनों के संबंध मेंकृषि को जोखिम भरा और अक्षम बनाती हैं. यह कानून बाजार की अस्थिरता के जोखिम को किसान से हटाकर प्रायोजक के पास ले जाएगा और किसान की आधुनिक तकनीक और बेहतर कृषि इनपुट से पहुंच को भी सक्षम बनाएगा. यह कानून विपणन की लागत कम करेगा और किसानों की आय में सुधार करेगा. किसान सीधे विपणन में शामिल होंगे जिससे बिचौलियों का सफाया होगा और किसानों को पूरा मूल्य प्राप्त होगा. किसानों को पर्याप्तक संरक्षण प्रदान किया गया है. समय पर विवाद निवारण के लिए प्रभावी विवाद समाधान तंत्र उपलब्धन कराया गया है.

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ना. कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान को उसकी उपज के दाम निर्धारित करना. बुवाई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन. दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ.
- इस विधेयक की मदद से बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से हटकर प्रायोजकों पर चला जाएगा. मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा.
- इससे किसानों की पहुँच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक होगी.
- इससे विपणन की लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी.
- किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिवस में स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है.
- कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को बढ़ावा देना.
- विधेयक को लेकर शंकाएं
- अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और वे कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे.
- छोटे किसान संविदा खेती (कांट्रेक्ट फार्मिंग) कैसे कर पाएंगे? क्योंकि प्रायोजक उनसे परहेज कर सकते हैं.

- नई व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी होगी.

विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को लाभ होगा.

विधेयक संबंधी स्पष्टीकरण

- किसान को अनुंबध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकेगा. उन्हें अधिक से अधिक 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा.
- देश में 10 हजार कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं. यह समूह (एफपीओ) छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे.
- अनुबंध के बाद किसान को व्यापारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी. खरीदार उपभोक्ता उसके खेत से ही उपज लेकर जा सकेगा.
- विवाद की स्थिति में कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी. स्थानीय स्तर पर ही विवाद के निपटाने की व्यवस्था रहेगी.

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है. इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी. उत्पाद, उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा.

भारत में अधिकांश कृषि वस्तुएं सरप्लस हो गई हैं. किसान कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रोसेसिंग और एक्सएपोर्ट में निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के कारण उद्यमशीलता की भावना कम हो जाती है. भारी फसल होने पर,(विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में) किसानों को भारी हानि उठानी पड़ती है. यह कानून मूल्य स्थिरता लाते हुए किसान और उपभोक्ता दोनों की ही मदद करेगा. यह प्रतिस्पर्धी बाजार का माहौल बनाएगा और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाली कृषि उत्पाादों की बर्बादी भी रोकेगा.

मोदी सरकार के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था में महती भूमिका निभाने को तैयार हो रहा कृषि क्षेत्र

▶ प्रहलाद सबनानी

वर्तमान ख़रीफ़ 2020 के मौसम में देश में 1095 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुआई का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1030 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुआई का कार्य सम्पन्न हुआ था. चावल, दालें, मोटा अनाज, बाजरा तिलहन आदि की बुआई लगभग सम्पन्न हो चुकी है. कोरोना महामारी का ख़रीफ़ की बुआई के कार्य में किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है. यह देश में कृषि क्षेत्र के लिए आगे आने वाले समय के लिए एक अच्छी ख़बर ही कही जाएगी.

दरअसल, वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भी कृषि एवं सहायक गतिविधियों के क्षेत्र में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर अंकित की गई है. कोरोना महामारी से विशेष रूप से भवन निर्माण, व्यापार, होटेल व्यवसाय, यातायात कार्य, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है. परंतु कृषि क्षेत्र पर कोरोना महामारी का प्रभाव नहीं पड़ा है. इसी प्रकार, मार्च से जून 2020 की तिमाही में देश से कृषि क्षेत्र में निर्यात भी 23.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए रुपए 25,553 करोड़ तक पहुँच गए हैं.

केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने देश से कृषि के क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने एवं आयात घटाने की एक वृहद योजना बनाई है. जिसका परिणाम वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में देखने को मिल रहा है. भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है. अतः कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ाने से न केवल देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी बल्कि किसानों की आय में वृद्धि भी होगी.

अप्रैल से जुलाई 2020 के दौरान राष्ट्रीय फ़र्टिलायज़र लिमिटेड ने फ़र्टिलायज़र की 18.79

लाख मेट्रिक टन की रिकार्ड बिक्री की है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान की गई 15.64 लाख मेट्रिक टन की बिक्री से 20 प्रतिशत अधिक है. साथ ही, देश के ग्रामीण इलाक़ों में लगातार बढ़ रही उत्पादों की माँग के चलते बिजली का उपभोग इन इलाक़ों में बढ़ रहा है.

मूलतः कृषि आधारित उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों में बिजली की माँग में भारी वृद्धि दर्ज की गई है जबकि औद्योगीकृत पश्चिमी एवं दक्षिणी राज्यों में औद्योगिक उत्पादन में कमी के चलते बिजली की माँग में अभी वृद्धि देखने में नहीं आई है.

बिजली की माँग कोरोना महामारी के पूर्व के स्तर से अब 2 अथवा 3 प्रतिशत ही पीछे रह गई है. अतः अब यह स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों के चलते कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गया है.

कोरोना महामारी के चलते किसानों को कृषि कार्य सम्पन्न करने के लिए वित्त की कमी महसूस नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखकर किसानों को बैंकों द्वारा सस्ती ब्याज दरों पर किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं. 17 अगस्त 2020 तक समाप्त अवधि तक 1,02,065 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को उपलब्ध करा दिए गए हैं. यह क़दम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है.

इसी प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान के 9वें सप्ताह के अंत तक 24 करोड़ दिनों का रोज़गार देश के नागरिकों को उपलब्ध कराया गया है एवं उन्हें 18,862 करोड़ रुपए मज़दूरी के रूप में प्रदान किए गए हैं.

इस योजना के अंतर्गत सम्पन्न कराए गए कार्य से 85,000 जल संरक्षण केंद्रों का निर्माण, पशुओं के लिए 18000 से अधिक शेडों का निर्माण, लगभग 12000 तालाबों का निर्माण, एवं 2.63 लाख ग्रामीण आवासों का निर्माण किया गया है. इस प्रकार के लगभग समस्त कार्य ग्रामीण इलाक़ों में सम्पन्न कराए गए हैं.

देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के लिए आधारिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से एक लाख करोड़ रुपए के फ़ंड को अगले दो वर्षों के दौरान जारी करने का निर्णय लिया है. अतः इस कड़ी में अभी हाल ही में 1300 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट, जो 2282 प्राइमरी कृषि

कोआपरेटिव सोसायटियों द्वारा चलाए जाएँगे, को स्वीकृति प्रदान की गई. कृषि की पैदावार हो जाने के बाद की आधारिक संरचना के विकास के लिए उक्त प्रोजेक्ट कार्य करेंगे. इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी एवं रोज़गार के कई नए अवसर भी विकसित होंगे.

हाल ही में भारतीय रेलवे ने भी, प्रथम किसान रेल, देवलाली से दानापुर के बीच प्रारम्भ कर दी है. किसान रेल चलाने से कृषि उत्पादों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक शीघ्रता से पहुँचाया जा सकेगा जिससे कृषि उत्पाद को ख़राब होने से बचाया जा सकेगा. इससे किसानों की आय में वृद्धि दृष्टिगोचर होगी.

ऑर्गनिक खेती करने वाले किसानों की संख्या के मामले में भारत पूरे विश्व में अब प्रथम स्थान पर आ गया है एवं ऑर्गनिक खेती के क्षेत्र के मामले में भारत पूरे विश्व में 9वें स्थान पर है. भारत से ऑर्गनिक खेती से निर्यात में शामिल हैं – फ़्लैक्स बीज, सीसेम, सोयाबीन, चाय, मेडिसिनल प्लांट, चावल एवं दालें.

भारत के निर्यात में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत कम है. अतः अब इसे बढ़ाए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. दूध के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है एवं कृषि क्षेत्र में उत्पादन के लिहाज़ से भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है.

कृषि उत्पादन में तो हमारे देश ने काफ़ी तरक़्क़ी कर ली है एवं इस क्षेत्र में हम लगभग आत्मनिर्भर बन गए हैं, परंतु इस क्षेत्र से निर्यात का अच्छा स्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा है. अतः शायद देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात नीति की घोषणा की है और उसके अंतर्गत सभी राज्यों को निर्यातोन्मुखी सूत्र में बाँधने की कोशिश की गई है.

इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर समितियों का निर्माण प्रारम्भ किया गया है एवं सीधे किसानों तक पहुँचकर उसे निर्यातकों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इस प्रयास में जो भी आधारिक संरचना सम्बंधी कमी दृष्टिगोचर होती है उसे दूर करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है. निर्यात के क्षेत्र में आने वाले अन्य प्रकार के सारे अवरोधकों को चिन्हित कर उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है.

कृषि क्षेत्र में आधारिक संरचना विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि मंत्रालय को एक लाख करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज दिया है. वाणिज्य, उद्योग एवं कृषि मंत्रालय मिलकर इस क्षेत्र में सराहनीय काम कर रहे हैं.

अभी तक हमारे देश में कृषि क्षेत्र में आयात ख़त्म कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया जा रहा था. अतः स्वयं के उपभोग करने के बाद बचा खुचा उत्पाद ही निर्यात कर पाते थे. परंतु अब केंद्र सरकार ने इस नीति में संशोधन किया है, अतः कृषि क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के बाद अब इस क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है. जैसे कोरोना महामारी के चलते हल्दी का उपयोग बढ़ा है, अतः देश में ही हल्दी के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है ताकि देश में उपभोग के बाद इसका पर्याप्त मात्रा में निर्यात भी किया जा सके.

देश में किसानों को भी अब समझना पड़ेगा कि कृषि क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक खेती की ओर मुड़ना ज़रूरी है एवं कृषि उत्पाद की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में भारी सुधार करने की आवश्यकता है. अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप ही कृषि उत्पादन करना होगा. शीघ्र ख़राब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज की चैन देश के कोने कोने तक फैलाई जा रही है. केंद्र सरकार ने इसके लिए वित्त की व्यवस्था कर दी है एवं सबंधित विभागों को वित्त प्रदान भी कर दिया है.

कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से पहुँचाने के लिए कुछ विशेष रेल गाड़ियाँ भी चलायी जा रही हैं. एपीएमसी क़ानून में संशोधन कर दिया गया है ताकि किसान अपनी उपज को जहाँ चाहें वहाँ आसानी से बेच सकें. साथ ही, कॉट्रैक्ट फ़ार्मिंग पद्धति को भी स्वीकृति दे दी गयी है ताकि भविष्य में किसान किस प्रकार की उपज लेना चाहता है, इसका निर्णय वह आसानी से आज ही कर सके.

एक ज़िला एक उत्पाद की नीति भी घोषित की गई है, जैसे किसानों को एक एक जिले में विशेष प्रोडक्ट की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. जिस प्रकार सिक्किम का नाम आते ही ऑर्गेनिक कृषि का नाम ध्यान आ जाता है एवं केरल का नाम आते ही मसालों का नाम ध्यान आता है. उसी प्रकार देश के हर जिले के नाम पर कोई न कोई विशेष उत्पाद जुड़ जाना चाहिए, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं. कुल मिलाकर मोदी सरकार की नीतियों से देश का कृषि क्षेत्र लगातार मजबूती की ओर अग्रसर है तथा देश की अर्थव्यवस्था में बड़े योगदान के लिए तैयार हो रहा है.

(लेखक बैंकिंग क्षेत्र से सेवानिवृत्त हैं. आर्थिक विषयों के जानकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

पारित हुए कृषि सुधार विधेयक, किसानों के जीवन में आएगा नया सवेरा

▶ प्रणय कुमार

कृषि एवं किसानों के हितों से जुड़े विधेयकों के पारित होने के पश्चात उसके पक्ष और विपक्ष में तमाम दलीलें दी जा रही हैं. तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं. सरकार जहाँ इसे नई क्रांति एवं नई आज़ादी की संज्ञा दे रही है तो कुछ विपक्षी दल इसे काला क़ानून तक बता रहे हैं. ऐसे में इन दावों एवं आरोपों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करना होगा.

भारत एक कृषि प्रधान देश है. यहाँ की 70 फ़ीसदी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है. आत्मनिर्भर भारत का पथ कृषि की उपेक्षा करके प्रशस्त नहीं हो सकता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसानों की आय को 2022 तक दुगुनी करने के लिए वचनबद्ध है.

सरकार उसी वचनबद्धता की दिशा में वर्तमान विधेयकों- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण), कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक तथा आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश-2020 को एक सधा हुआ ठोस सुधारात्मक क़दम बता रही है.

इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों ने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपनी ओर से कोई कोर-कसर बाक़ी नहीं रखी है. हम उस दौर से बहुत आगे निकल आए हैं, जब हमारा देश दोयम दर्ज़े के अमेरिकन गेहूँ पर खाद्यान्न के लिए निर्भर रहा करता था.

आज हम उस दौर में पहुँच गए हैं, जहाँ व्यवस्था के अनुकूल एवं सहयोगी रहने पर हमारे किसान अपने परिश्रम एवं पुरुषार्थ से बंजर भूमि में भी सोना उगा सकते हैं. परंतु विडंबना यह है कि किसानों के हितों को लेकर कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय पार्टियाँ भी विगत सात दशकों से राजनीति करती आई हैं. उनकी राजनीति तो चमकी, पर किसानों की क़िस्मत नहीं चमकी.

इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सत्तर के दशक से आज तक सेवा-क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों-कर्मचारियों की आय में जहाँ औसतन सौ से डेढ़ सौ प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं किसानों के द्वारा उत्पादित प्रमुख फ़सलों के मूल्यों में मात्र 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

किसानों की क़िस्मत चमकाने के लिए सस्ती एवं लोकप्रिय राजनीति से ऊपर उठकर ठोस सुधारात्मक क़दम उठाने होंगें, चली आ रही व्यवस्था के सभी छिद्रों को हर हाल में बंद करना होगा. अढ़ातियों, बिचौलियों और मंडी समिति पर वर्षों से काबिज़ नेताओं के भंवरजाल से किसानों को मुक्त कराना होगा. वर्तमान सरकार इसी दिशा में कार्य करती आ रही है.

दुर्भाग्य से ऐसे हर प्रयास से पूर्व मचा हल्ला-हंगामा सुधार की हर प्रक्रिया पर विराम लगा देता है. इन विधेयकों के प्रसंग में भी विपक्षी दलों ने यही किया, परन्तु, संतोषजनक है कि विपक्षी अवरोध के बावजूद ये विधेयक दोनों सदनों पारित हो गए.

स्वस्थ लोकतंत्र में संवाद और सहमति का प्रयास सतत जारी रहने चाहिए. आलोचनाओं

एवं असहमतियों को नीतियों एवं निर्णयों में स्थान मिलना चाहिए. लेकिन इनकी एक मर्यादा भी होती है. सदन में विपक्षी दलों का आचरण उस मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल था. इस कृषि विधेयक के विरोध में खड़ी तमाम विपक्षी पार्टियों को देश को यह समझाना चाहिए कि यदि यह विधेयक किसानों के हित में नहीं है तो पूर्व में वे क्यों इसका समर्थन कर रहे थे?

क्यों हुड्डा समिति ने ऐसी ही सिफ़ारिशों की संस्तुति की थी? क्यों कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कृषि उत्पाद बाज़ार समिति अधिनियम (एपीएमसी) को ख़त्म करने की घोषणा की थी? क्यों उसने तब कहा था कि वह कृषि-उत्पादों की खरीद-बिक्री को हर प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त करेगी? क्यों इसी वर्ष जून में अध्यादेश के रूप में इस विधेयक को लाए जाने पर शिरोमणि अकाली दल ने इसका समर्थन किया था?

क्या महज़ कुछ लाख आढ़तियों-बिचौलियों-कमीशनखोरों के हितों के लिए करोड़ों किसानों के हितों को दांव पर लगाया जाना उचित होगा? क्या यह सत्य नहीं कि मंडी समितियों पर इनके वर्चस्व के कारण ही किसान औने-पौने दामों पर अपना उत्पाद बेचने को मजबूर होते रहे हैं? क्या यह सत्य नहीं कि नए विधेयक के पश्चात किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए एक बड़ा बाज़ार उपलब्ध होगा?

यहाँ तक कि वे अपना उत्पाद अंतरर्राज्यीय बाज़ारों में भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगें. क्या इसमें भी कोई दो राय होगी कि उसे अपना उत्पाद सर्वश्रेष्ठ क़ीमत पर जहाँ उसकी मर्ज़ी हो वहाँ बेचने की छूट मिलेगी या मिलनी चाहिए?

किसे नहीं मालूम कि अलग-अलग शहरों में स्थित मंडी समितियों के कुछ 50-100 एजेंट मिलकर किसानों के उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण करते आए हैं और बेचारा किसान उन्हें उनके द्वारा निर्धारित मूल्यों पर अपनी पैदावार बेचने को विवश एवं अभिशापित होता रहा है? अभी तक मंडी में फसल बेचने पर किसानों को 8.5 प्रतिशत मंडी शुल्क लगता था, पर व्यापारियों को सीधे फ़सल बेचने की स्थिति में किसान यह कर देने के लिए बाध्य नहीं होगा.

इतना ही नहीं, इन विधेयकों के पारित हो जाने के पश्चात अब खाद्य उत्पाद विक्रय एवं वितरण से जुड़ी तमाम कंपनियाँ सीधे गाँवों एव खेतों से खाद्य-उत्पादों का क्रय कर सकेंगीं तो इससे परिवहन पर लगने वाला किसानों का अतिरिक्त धन एवं समय बचेगा. वे उत्पाद को बाज़ार तक पहुँचाने के अतिरिक्त दबाव से मुक्त रहेगें बल्कि नई व्यवस्था में बाज़ार उन तक

पहुँचेगा.

इसके अलावा इन विधेयकों से जैविक कृषि को भी बढ़ावा मिल सकता है. क्योंकि अब कृषक अपने जैविक कृषि-उत्पादों का यथोचित मूल्य-निर्धारण कर सकने की स्थिति में होंगें. यह क़ानून किसानों को इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की भी अनुमति देता है.

यह भी स्वागत योग्य क़दम है कि इन विधेयकों के अंतर्गत किसान एवं क्रेता के बीच पूर्व अनुबंधन पर आधारित कृषि को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है. मसलन किसान अपने खेत को एक निश्चित अवधि तक किराए पर देने को स्वतंत्र है. इससे लागत और मुनाफ़े के बीच एक बेहतर आनुपातिक संतुलन कायम किया जा सकता है.

ध्यातव्य है कि आज किसानों को कई बार लागत से भी कम दरों पर अपना उत्पाद बेचने को बाध्य होना पड़ता है. यह प्रशंसनीय है कि इन विधेयकों में किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्त्ति, तकनीकी सहायता, फसल-बीमा, ऋण-सुविधा आदि उपलब्ध कराने जाने के प्रावधान डाले गए हैं. इन विधेयकों से कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की संभावना को भी बल मिलेगा.

जो किसान पूँजी के अभाव में समय पर जुताई-बुआई भी नहीं कर पाते थे, उन्हें शायद अब पूँजी उपलब्ध कराने वाले भागीदार मिल जाएँ. ये विधेयक किसानों को स्वतंत्र हितधारकों के रूप में अपना हानि-लाभ तय करने का अधिकार प्रदान करते हैं. यह निश्चित ही एक स्वागतयोग्य क़दम है.

यह सुखद है कि कृषिमंत्री एवं प्रधानमंत्री ने बार-बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा बनाए रखने की घोषणा की है. यह कोरा आश्वासन इसलिए नहीं लगता क्योंकि विगत छह वर्षों से इस सरकार ने एमएसपी में लगातार वृद्धि की है. यहाँ तक कि आज पुनः प्रधानमंत्री ने गेहूं, चना, जौ, मसूर आदि उपजों की एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की है.

सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले अनुदानों में भी अब तक कोई कटौती नहीं की है. इसलिए सरकार पर संदेह करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता. कुल मिलाकर घोषणा के स्तर पर ये विधेयक निःसंदेह आश्वस्तकारी हैं, उम्मीद है धरातल पर भी ये परिणामदायी साबित होंगें और किसानों के जीवन में नया सवेरा लाएंगे.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

विपक्ष द्वारा कृषि सुधार विधेयकों के विरोध की क्या है असली वजह?

▶ रमेश कुमार दूबे

पिछले वर्ष सरकार बार-बार कह रही थी कि नागरिकता संशोधन कानून का देश के किसी नागरिक से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद विपक्ष मुसलमानों को बरगलाता रहा. कमोबेश वही स्थिति आज कृषि क्षेत्र में उदारीकरण-आधुनिकीकरण लाने वाले विधेयकों के साथ हो रही है.

सरकार बार-बार कह रही है कि कृषि सुधार संबंधी कानून लागू होने के बाद भी सरकारी मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेंगे फिर भी विपक्ष वोट बैंक की राजनीति में डूबा विपक्ष भ्रम फैलाने से बाज नहीं आ रहा है.

दरअसल कांग्रेसी कार्य संस्कृति में चुनावों को ध्यान में रखकर योजनाओं की घोषणा की जाती थी और सत्ता मिलते ही सरकारें उन योजनाओं को भुला देती थीं. इसी का नतीजा था कि आजादी के सत्तर साल बाद भी लोगों को बिजली, पानी, सड़क, उर्वरक, कीटनाशक, रसोई गैस, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता था.

लगभग सत्तर वर्षों तक कांग्रेस की वोट बैंक वाली कार्य-संस्कृति का शिकार बना आम आदमी आज भी वादों पर विश्वास नहीं कर पाता. इसी का फायदा विरोधी दल उठाकर कभी सीएए के नाम पर तो कभी एमएसपी व मौजूदा मंडी व्यवस्था खत्म करने का भ्रम फैलाकर देश को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं.

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को 21वीं सदी के भारत के अनुरूप बना रहे हैं ताकि खेती-किसानी को बिचौलियों-आढ़तियों के चंगुल से निकाला जा सके. यह काम सूचना प्रौद्योगिकी के बिना संभव नहीं है इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर अगले एक हजार दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की थी.

इस घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए 21 सितंबर 2020 को हर घर तक फाइबर नामक

योजना शुरू की गयी. इसकी शुरूआत बिहार से हुई जहां 45,945 गांवों को अगले सौ दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.

ऑप्टिनकल फाइबर जुड़ने से गांव के लोग इंटरनेट सुविधा के लिए ब्राडबैंड़ का इस्तेमाल कर सकेंगे. गौरतलब है कि सरकार ने अब तक भारत नेट कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया है. अब बाकी सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए हर घर तक फाइबर योजना शुरू की गई है. उल्लेखनीय है कि 2014 से पहले तक देश की मात्र 60 ग्राम पंचायतें ही ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं.

जब देश के सभी गांवों तक ब्राडबैंड की पहुंच बन जाएगी तब किसान और व्यापारी इंटरनेट के जरिए उपज की खरीद-बिक्री करेंगे जिसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी. इससे न सिर्फ अंतर-राज्यीय व्यापार की सीमा खत्म होगी बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार (ई-नाम) के क्रियान्वयन में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएंगी. उल्लेखनीय है कि 2016 में शुरू हुई ई-नाम योजना से अब 1.66 करोड़ किसान, 1.31 लाख व्यापारी, 73151 कमीशन एजेंट और 1012 किसान उत्पादक संघ जुड़ चुके हैं.

हालांकि इतने बड़े देश में दूर-दूर तक बिखरी बस्तियों तक ब्राडबैंड पहुंचाना आसान काम नहीं है लेकिन मोदी सरकार की राजनीतिक-प्रशासनिक प्रतिबद्धता और चुस्त कार्य संस्कृति को देखें तो यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी समय से पहले हासिल कर लिया जाएगा.

गौरतलब है कि 15 अगस्त 2015 को जब प्रधानमंत्री ने अगले एक हजार दिनों में देश के बिजली विहीन हर गांव तब बिजली पहुंचाने की घोषणा की थी तब किसी को विश्वास नहीं था कि यह कार्य पूरा हो पाएगा लेकिन मोदी सरकार की जवाबदेह कार्य संस्कृति का नतीजा रहा कि योजना समय से पहले पूरी हो गई.

मात्र छह वर्षों में मोदी सरकार ने खेती-किसानी को सशक्त बनाने के लिए इतने उपाय कर दिए हैं कि विरोधियों के पास खेती-किसानी से जुड़े मुद्दों का अकाल पड़ गया है. मोदी विरोधी इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि एक बार किसान सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कृषि विपणन तंत्र को अपना लेंगे तो पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस द्वारा पोषित बिचौलिया प्रधान विपणन व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी. कृषि सुधार संबंधी विधेयकों के विरोध की असली वजह यही है.

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं. वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

किसानों को सशक्त बनाने वाले हैं कृषि विधेयक, भ्रम फैलाना बंद करे विपक्ष

▶ अनुराग सिंह

बचपन से ही हम इन पंक्तियों को सुनते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है,यहाँ की अधिकांश आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है या कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है. परंतु, इन सबके बावजूद आज़ादी के बाद भारतीय किसानों की दशा पर यदि आप नजर डालें तो चहुँओर आपको निराशा ही हाथ लगेगी. किसानों के नाम पर न जाने कितने आंदोलन हुए, न जाने कितने लोगों को बड़े-बड़े नेता बनाकर हमने संसद में पहुंचाया, पर ये लोग किसानों की स्थिति में कोई बहुत ठोस परिवर्तन लाने में सफल नहीं हुए.

आज़ाद भारत के राजनीतिक इतिहास को उठा कर देखें तो किसान को सॉफ़्ट टारगेट कह सकते हैं. किसानों की संख्या ज़्यादा थी और वह वोट में बदल सकती थी, इसलिए उन्हें क़र्ज़माफ़ी से लेकर अन्य मुद्दों तक बहलाया गया लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया. लेकिन मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कर्जमाफ़ी जैसी लोकलुभावन चीजों के बजाय किसानों को मजबूत करने व उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं.

इसी कड़ी में वर्तमान समय में केंद्र सरकार ने 'कृषि उत्पाद बाज़ार समिति' संबंधी अधिनियम लोक सभा में पारित किया जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है. इसके तहत किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए किसी भी तरह की बाध्यता से मुक्त किया गया है.

पहले वे अपनी फसलों को नियत मंडियों में ही बेचा करते थे जहाँ पर एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों के पास चला जाता था. इस बिल से उन्हें इस तरह की किसी भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा.

वे अपनी फ़सल को अंतराराज्यीय बाज़ारों में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकलकर आती है कि उन्हें अपने उत्पाद की सर्वश्रेष्ठ क़ीमत जहाँ पर भी मिले वे उसे वहाँ पर बेच सकते हैं.आप जहाँ से सर्वाधिक लाभ कमा पाते हैं, अपने उत्पाद को भेज कर वहाँ लाभ

कमाना किसी भी स्थिति में बेहतर होता है.

एपीएमसी के एजेंटों द्वारा संगठित होकर कम बोली लगाया जाना एवं किसानों को कम क़ीमत पर फसल को बेचे जाने के लिए बाध्य करना एक बड़ी समस्या रही है, इस बिल के माध्यम से यही विसंगति दूर करने की कोशिश की जा रही है.

एक बात और जो गौर करने लायक़ है वह यह कि एपीएमसी बाज़ार की भूमिका में तो है ही,साथ-साथ नियामक की भूमिका में भी है. नियामक की इस भूमिका की वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था. सरकार के इस कदम के बाद किसानों के लिए इससे बचने का रास्ता खुलेगा.

इन बिल के तहत किसान एवं ख़रीदार के बीच कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है जिसमें एक ख़रीदार और किसान के बीच फ़सल उगाने से पूर्व ही एक कांट्रैक्ट हो जाएगा और वे फसल के बाद उन सभी नियमों का पालन करते हुए उत्पाद को ख़रीदार को बेच कर किसान अपना मुनाफ़ा कमाता रहेगा.

परंतु वर्तमान में राजनीति के तहत लगातार इस बात को उछाला जा रहा है कि इस बिल के पश्चात न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर दिया जाएगा. संसद में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और जारी रहेगा इसको हटाने की बात महज़ एक भ्रम है, हमें इससे बचना चाहिए जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समर्थन किया. दरअसल यह सब राजनीति के क्रम में विपक्ष द्वारा सरकार के ख़िलाफ़ जानबूझकर किया जाने वाला षड्यन्त्र है.

लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उससे अपेक्षा होती है कि वो सत्ता पक्ष के कार्यो में रचनात्मक भागीदारी निभाए तथा गलत होने पर विरोध करे. लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में विपक्ष की भूमिका जनता में भ्रम और सरकार के कामों में गतिरोध पैदा करने तक सीमित होकर रह गयी है.

हाल ही में नागरिकता क़ानून पर भी विपक्ष ने यही दुष्प्रचार की राजनीति की थी और वर्तमान में किसान हित से जुड़े बिलों पर भी वो वही कर रहा है. विपक्ष को समझना चाहिए कि यह नकारात्मक राजनीति किसी भी प्रकार से देशहित में नहीं है और जनता सब समझ रही है.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं. पत्र-पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन करते हैं. ये उनके निजी विचार हैं.)

किसानों की हालत बदलेंगे नए कानून

▶ सन्नी कुमार

यह संसदीय प्रणाली का एक सामान्य चलन है कि जब भी कानून सदन में प्रस्तावित या पारित होता है, उस पर पक्ष विपक्ष के दो खेमे निर्धारित हो जाते हैं. कुछ अपवादों को छोड़कर हर कानून की यही नियति होती है जहाँ सरकार उसे उद्धारक और विपक्ष विनाशक बताती है. इसलिये जब कृषि सुधार से संबंधित तीन नए कानून पारित हुए तब भी द्वैत की यह स्थिति बन गई. ऐसे में आवश्यक है कि हम पक्ष-विपक्ष की बातों के साथ-साथ इन कानूनों से होने वाले बदलावों और इसके पहलूओं को समझेनें के उपरांत ही हम कोई तार्किक निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं. सबसे पहले हम इसी बात की चर्चा करते हैं कि आखिर इन बदलावों की आवश्यकता ही क्या थी? और अगर बदलाव करने भी थे तो इतने संरचनात्मक बदलाव क्यों किए गए कि खेती किसानी की संरचना ही बदल जाए? इसका जबाव जानने के लिए हमें कुछ आंकड़ों को देखना होगा.

बदलाव की आवश्यकता क्यों?

वर्ष 2019 के आंकड़े देखें तो कृषि क्षेत्र कुल श्रमबल का लगभग 42 प्रतिशत भाग धारण करता है जबकि राष्ट्रीय आय में इसका योगदान मात्र 16.5 प्रतिशत है. इसका तात्पर्य यह है कि कृषि क्षेत्र में व्यापक 'प्रच्छन्न बेरोजगारी' की स्थिति है तथा सरकार द्वारा लगातार एमएसपी बढ़ाए जाने के बाद भी उत्पादकों को उचित कीमत नहीं मिल रही है. कृषि की इस स्थिति में होने के वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि कृषि और कृषकों के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए उनसे इनका संबंध बाजार व्यवस्था से कट गया. ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही था कि कृषि एक सीमित आर्थिक हैसियत तक सिमट जाता . दरअसल, अन्य क्षेत्र जो मुक्त बाजार व्यवस्था से जुड़कर जोखिम और लाभ की व्यापक दुनिया में प्रवेश कर गए, वहीं कृषि को जोखिम से सुरक्षा के नाम पर सीमित लाभ तक समेट दिया गया. इसके कारण किसान और अन्य पेशेवर में आय अंतराल बढ़ता गया. अर्थव्यवस्था के शेष क्षेत्र एक दूसरे से जुड़कर लाभ बढ़ाते गए, लेकिन कृषि इस तरह से जुड़ नहीं पाया. इसका परिणाम कृषि की वर्तमान दशा है. अब सवाल है कि इसका समाधान क्या हो? क्या कृषि एवं कृषकों को सरकारी सुरक्षा से निकालकर पूर्णतः मुक्त बाजार के हवाले कर दिया जाए? या

फिर सरकारी नियंत्रण को बरकरार रहने दिया जाए? वस्तुतः समाधान इन दोनों छोरों के बीच है. अर्थात् सरकार कृषि को इतनी सुरक्षा तो दे कि इस सुभेद्य पेशे पर गंभीर खतरा न उत्पन्न हो और किसानों को जीवनयापन किसी भी तरह पहले से खराब न हो, साथ ही इसे धीरे धीरे उन क्षेत्रों से भी जुड़ने के लिए स्वतंत्र करना होगा जो इसकी सूरत बदल सके. अब सुरक्षा और लाभ की इस कसौटी पर वर्तमान कानूनों को परखते हैं कि उसकी दिशा क्या है?

क्या हैं नए परिवर्तन?

उपरोक्त कसौटी पर ये परिवर्तन खरे उतरते हैं या नहीं इसको जानने के लिए पहले आवश्यक है कि हम तथ्यात्मक रूप से इन परिवर्तनों को जान लें. दरअसल, कृषि से संबंधित तीन परिवर्तनों के लिए पहले अध्यादेश लाया गया था जो अब संसद द्वारा पारित हो गए हैं. इनमें से एक है 'किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020'.

यह विधेयक मुख्य रूप से किसानों को अपनी उपज बेचने के अन्य विकल्प प्रदान करता है. अब किसान अपने उत्पादों को एक राज्य से बाहर भी बेच सकेंगे. साथ ही उनके पास यह विकल्प भी होगा कि वो एपीएमसी (कृषि उत्पाद विपणन समिति) द्वारा निर्धारित मंडी के बाहर भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे. इस प्रकार की बिक्री किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त होगी. इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों की खरीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक खरीदों को भी सहमति दी गई है.

दूसरा कानून 'मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता विधेयक -2020' है. यह कानून मुख्यतः संविदा कृषि पर जोर देता है. यानी किसान अपने उत्पादों की बिक्री के लिए किसी स्पॉन्सर से संविदा करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिनमें परस्पर सहमति से कीमत व अन्य शर्तें तय की जा सकेंगी. 'अनिवार्य वस्तुएँ (संशोधन) विधेयक, 2020' इस कड़ी का तीसरा कानून है. यह कानून आवश्यक खाद्य पदार्थों के स्टॉक को विनयमित करता है ताकि उसकी उपलब्धता सुनिश्चित होती रहे. नए संशोधन में यह तय किया गया है कि सरकार सिर्फ आपात स्थितियों में ही इन खाद्य पदार्थों को विनयमित करेगी. साथ ही स्टॉक निर्धारण भी तब तक नहीं किया जाएगा जब तक बागवानी रिटेल मूल्यों में 100 प्रतिशत तथा नष्ट न होने वाले कृषि उत्पादों के रिटेल मूल्यों में 50 प्रतिशत की वृद्धि नहीं हो जाती.

अब इन परिवर्तनों के विरोध को देखें तो इसके मूल में दो-तीन तत्त्व हैं. एक तो यह कि एपीएमसी से

बाहर कृषि उत्पादों की बिक्री से किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा तथा 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' को लागू करना मुश्किल होगा. राज्य सरकारों की आय में कमी तथा मंडी संचालकों जिन्हें अढ़ाती भी कह देते हैं उनकी आय भी प्रभावित होगी. दूसरा आक्षेप संविदा कृषि को लेकर है कि इससे कृषि का परंपरागत ढॉंचा नष्ट हो जाएगा. यह भी कहा जा रहा है कि इससे सारा लाभ कॉरपोरेट को होगा तथा किसानों को जमीन से अपने मालिकाना हक से भी वंचित होना पड़ सकता है. संविदा की जटिल प्रक्रियाओं के प्रति किसानों की असहजता को भी चिंता का एक बिंदु बताया जा रहा है. विरोध की तीसरी वजह स्टॉक रेगुलेशन के समाप्त होने से महंगाई बढ़ने की है.

विरोध की सत्यता

जहॉं तक नई व्यवस्था में कृषकों को उपज का सही मूल्य न मिलने की बात है तो इसे समझना मुश्किल है कि आखिर किन आधारों पर ऐसा कहा जा रहा है. नई व्यवस्था तो यह प्रावधान करती है कि अब किसान एपीएमसी मंडी या मंडी के बाहर कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं. मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं की गई है. अगर मंडी से बाहर किसान को अपनी उपज का अधिक मूल्य मिल रहा हो तो उसे वहॉं अपने उत्पाद क्यों नहीं बेचने चाहिए? और यदि मंडी के बाहर कम कीमत मिल रही है तो कोई किसान वहॉं अपने उत्पाद क्यों बेचेगा जबकि मंडी उसे अधिक कीमत दे रही है? यह साधारण सा गणित है जिसे क्रय-विक्रय करने वाला हर व्यक्ति समझता है.

वास्तविकता यह है कि मंडी टैक्स, खेत से उसकी दूरी और इसके संचालकों का मनमाना व्यवहार किसानों को कम कीमत पर उपज बेचने के लिए मजबूर करते हैं. लंबे समय से इसमें सुधार की भी बात चल रही थी. यहॉं तक कि कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो तक में इसका जिक्र किया है. इसलिए इस आधार पर विरोध अतार्किक है.

न्यूनतम समर्थन मूल्य की समाप्ति के संबंध में यही कि जब एपीएमसी मंडी संचालित होती ही रहेंगी, जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या अधिक कीमत पर खरीद करनी है तो इसके समाप्त होने का तुक ही नहीं है. सरकार ने भी बार-बार कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बरकरार रहेगा. अगर मंडी के बाहर कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत दे रहा होगा तो किसान मंडी में फसल बेचकर यह कीमत प्राप्त कर सकते हैं. हॉं, इतना जरूर है कि यदि मंडी से बाहर अधिक कीमत मिलने पर किसान वहॉं अपनी उपज बेचते हैं तो मंडी को टैक्स प्राप्ति नहीं हो सकेगी जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन यह सौदा किसानों के हक में होगा और दीर्घकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था

इससे बेहतर ही होगी.

संविदा कृषि को लेकर आक्षेप को देखें तो यह इस प्रस्थापना से शुरू होता है कि कॉरपोरेट स्वाभावत: बुरे होते हैं. इस साम्यवादी पूर्वाग्रह को आज के समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता. आज हमारी अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रों से ही संचालित हो रहा है, विनिर्माण से लेकर सेवा क्षेत्र नई ऊंचाई तक इनके ही सहारे पहुँचा है, इसलिए ऐसे अविश्वास को पूर्वधारणा मान लेना गलत होगा. हम इस बात पर बहस कर सकते हैं कि कानून कॉरपोरेट को अतिरिक्त फायदा न पहुँचाए. अत: इस संभावना के आधार पर विरोध वाजिब नहीं है. अब वर्तमान कानून को देखें तो यह 'परस्पर सहमति' से निर्मित संविदा की बात करता है. अर्थात् किसान अपनी शर्तों के आधार पर संविदा में शामिल होने या न होने के लिए स्वतंत्र होगा. हम यह मानकर क्यों चलें कि किसान अपने नुकसान का ही सौदा तय करेगा? किसानों की समझ पर ऐसे प्रश्नचिन्ह का क्या औचित्य है? दूसरे, कानून कृषि उत्पादों की बात करता है न कि खेतिहर भूमि की. यानी इस संविदा का खेत के मालिकाना हक से कोई लेना देना नहीं है. इसलिए यह आरोप कि इससे कृषकों का स्वामित्व नष्ट हो जाएगा, बेबुनियाद है. संविदा की शर्तों के अनुपालन और विवाद की स्थिति में त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है. वैसे भी संविदा कृषि को 'बाध्यकारी' नहीं बनाया गया है. अर्थात् कोई किसान इस संविदा में शामिल होने या नहीं होने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है. जो परंपरागत कृषि को जारी रखना चाहते हैं, वर्तमान कानून उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है.

ईमानदारी से देखें तो संविदा कृषि कई संभावित लाभों का अगुवा हो सकता है. जैसे- कॉरपोरेट पूंजी बेहतर कृषि अवसंरचना विकास, बेहतर कृषि तकनीक, प्रौद्योगिकी इनपुट, शोध, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उच्च गुणवत्ता के कृषि उत्पाद इत्यादि को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं. इससे कृषकों की आय भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा.

गड़बड़ी की दशा में सरकार के पास कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार होगा ही. उपरोक्त विवरण के आधार पर लेख की शुरुआत में निर्धारित की गई कसौटी को देखें तो ये परिवर्तन काफी हद तक उसके अनुकूल है. यह किसानों को अब तक मिल रही किसी भी सरकारी सहायता से वंचित नहीं करता तथा उसके लिए नए द्वार भी खोलता है.

(लेखक इतिहास के अध्येता हैं. विभिन्न अखबारों तथा ऑनलाइन पोर्टल्स के लिए स्वतंत्र लेखन करते हैं.)

किसानों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है मोदी सरकार

▶ राजीव प्रताप सिंह

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से प्रति वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले भाषणों में किसानों के मुद्दे प्रमुखता से जगह पाते आए हैं. परन्तु, दुर्भाग्यवश ऐसा होने की बाद भी आज तक किसानों की स्थिति बदहाल ही रही.

पूर्व की अधिकांश सरकारों ने किसानों के मुद्दों पर खूब राजनीति की लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव में वे किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस नीतिगत परिवर्तन नहीं कर सकीं. वर्तमान सरकार ने अपने प्रथम कार्यकाल से ही 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है और इस दिशा में लगातार काम भी कर रही है.

फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से वर्तमान सरकार ने किसानों के हितों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है. इसी क्रम में सरकार ने 2019 में किसान हित से जुड़ी 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' प्रारम्भ की. इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रूपये सीधे उनके खातों में आर्थिक मदद के रूप में भेजे जाते हैं.

लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद वर्तमान सरकार ने जब यह महसूस किया कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है, इससे आगे भी कुछ नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता है तो सरकार विगत जून माह में किसानों के हित में तीन अध्यादेश लेकर आई जिसे पिछले दिनों दोनों सदनों में पारित भी कराया जा चुका है और अब तो वे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून भी बन चुके हैं. लेकिन विपक्षी दल लगातार किसानों को भ्रमित करने अपना असल चरित्र दिखा रहे हैं. वे सरकार में रहें या विपक्ष में, उन्होंने हमेशा ही किसानों के मुद्दों पर राजनीति की और आज भी वे वहीं कर रहे हैं.

इस नए संशोधनों में तीन कानून हैं, जिसके संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं-

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020

इस कानून में प्रावधान किया गया है कि किसान अपने उत्पाद मंडी से बाहर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं. इस विधेयक में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की भी छूट दी गई है. स्वाभाविक तौर पर इससे मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर खर्च कम होगा और किसानों को ज्यादा लाभ मिल सकेगा.

कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020

इस कानून में अनुबंधित कृषि को लेकर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है. ये बिल कृषि उत्पोदों की बिक्री, कृषि बिजनेस फर्मों, थोक विक्रेताओं, फार्म सेवाओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं, प्रोसेसर्स और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है.

अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही यदि पैदावार अपेक्षा से ज्यादा हो गई तब भी किसानों को कम पैसे मिलते थे लेकिन अनुबंधित कृषि के द्वारा किसानों को पूर्व में तयशुदा राशि का भुगतान इस कानून के द्वारा सुनिश्चित हो सकेगा.

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

इस क़ानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू-प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी.

समग्रतः देखा जाए तो ये तीनों क़ानून किसानों के हितों को बल देने वाले हैं तथा इनसे किसानों की आय बढ़ना भी निश्चित है. बाकी हर नए निर्णय के साथ कुछ संशय होते हैं, लेकिन बिना ठोस निर्णयों के बड़े परिवर्तन नहीं आ सकते. कृषि क्षेत्र के समक्ष आज जो

चुनौतियाँ हैं, वे आजादी के सत्तर सालों में ऐसे बड़े निर्णय न लिए जाने के कारण ही हैं. परन्तु, देश के विपक्षी दलों को तो जैसे इस तथ्य से कोई सरोकार नहीं है, अपितु केवल अपनी राजनीति से ही मतलब है.

आज देश में हो रहे अधिकांश प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित हैं. ग्राउंड जीरो से प्राप्त मीडिया रपटों के अनुसार अनेक प्रदर्शनकारियों को यही नहीं पता कि वे जिसका विरोध कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या है जिससे किसानों का अहित हो रहा हो.

विपक्षी राजनीतिक दलों का यह रवैया इस बात का द्योतक है कि उनका किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है अपितु वे पूर्व की भांति पुनः किसानों को वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं और उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं. हालाँकि यदि हम इतिहास में देखें तो वर्तमान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कृषि सम्बंधित कानूनों में इस तरह के संशोधन की वकालत एक बार नहीं, अपितु कई बार की है.

कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार के संशोधन की वकालत संसद और प्रेस कांफ्रेंस के साथ-साथ अपने चुनावी घोषणापत्र में भी कर चुका है. मगर आज केवल राजनीति के लिए वही कांग्रेस इस क़ानून के विरोध में खड़ी है.

विपक्ष ने जो भी भ्रम किसानों के बीच फ़ैलाने का काम किया है उसके बारे में स्पष्टीकरण स्वयं केन्द्रीय कृषि मंत्री के साथ-साथ प्रधानमंत्री भी दे चुके हैं. विपक्षी दलों ने सीएए के समय भी इस तरह का भ्रम फैलाने का काम किया था, जिसका दुष्परिणाम हमने देश भर में हुए दंगों के रूप में देखा.

सबसे बड़ा भ्रम न्यूनतम समर्थन मूल्य को ख़त्म करने और एपीएमसी मंडियों को समाप्त करने को लेकर फैलाया जा रहा है जबकि इस पर स्पष्टीकरण देते हुए स्वयं केन्द्रीय मंत्री बोल चुके है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और आगे भी जारी रहेगा.

विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर जिस तरह से सदन की गरिमा को भंग किया वे समाज में भी भ्रम फैला कर सदन के बाहर भी उस तरह का उन्माद फैलाना चाहते हैं, अतः प्रदर्शनकारियों को विपक्ष की राजनीति का सहज उपकरण बनने से बचना चाहिए. नए क़ानून किसान हित में हैं और इनका सुपरिणाम शीघ्र ही देश के सामने आएगा.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

मुद्दाहीन विपक्ष की बौखलाहट का परिणाम है कृषि कानूनों का विरोध

▶ नवोदित सक्तावत

पिछले दिनों लोकसभा और राज्य सभा में कृषि विधेयक पारित किए गए और अब राष्ट्रपति की मंज़ूरी के साथ ये क़ानून की शक्ल ले चुके हैं. इन कृषि सुधार कानूनों में किसानों को वे तमाम अधिकार, छूट एवं लाभ के अवसर दिए गए हैं जो इससे पहले आज तक कभी नहीं मिले थे. हालांकि यह आश्चर्य की बात है कि किसानों का हितैषी होने का दावा करने वाली कांग्रेस आदि पार्टियाँ संसद से सड़क तक इन कृषि सुधारों के विरोध में लामबंद हैं.

विपक्ष द्वारा इन नए कृषि कानूनों के विरुद्ध माहौल बनाना और भ्रम फैलाना आज से कुछ समय पूर्व नागरिकता क़ानून के समय की याद दिलाता है. तब भी विपक्ष ने इसी प्रकार का दुष्प्रचार कर देश का माहौल खराब किया था.

वास्तव में विपक्ष के पास विरोध के लिए कोई ठोस मुद्दे बचे ही नहीं हैं. कोरोना जैसी आपदा के समय में भी जिस तरह सरकार ने व्यवस्था को यथासंभव संभाले रखा है और जनता में विश्वास बना रहा है, उससे विपक्ष बुरी तरह से बौखलाया हुआ है. इस बौखलाहट में ही वो कृषि सुधार कानूनों को लेकर दुष्प्रचार की राजनीति कर सरकार की छवि खराब करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है.

सच्चाई यह है कि यह क़ानून किसानों के हित में है लेकिन विपक्ष द्वारा उसे किसानों के लिए अहितकारी रूप में कुप्रचारित किया जाने लगा. सच यह है कि इसके आने के बाद अब किसान अपनी फसल कहीं भी अच्छे दामों पर बेच सकेंगे लेकिन बताया यह गया कि सरकार एमएसपी की व्यवस्था समाप्त करने जा रही है. जबकि इस दौरान सरकार ने देश भर के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गेहू समेत अन्य फसलों पर एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की है. केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से देश के लाखों किसानों को फायदा होगा.

यह वास्तव में दुखद एवं चिंतनीय है कि कोरोना संकट में, जहां पूरे विश्व की आर्थिक चाल सुस्त पड़ गई है, ऐसे में यदि भारत सरकार बीड़ा उठाकर समाज के जिम्मेदार एवं अहम वर्ग

किसानों के विकास के लिए कुछ बड़ी व्यवस्था तय करती है तो ऐसे में साथ देने की बजाय विपक्ष अपनी घटिया राजनीति में लगा है.

इस कृषि सुधार क़ानून के विरोध में गत शनिवार को ट्रेड यूनियंस ने तथाकथित भारत बंद का आह्वान किया जो कि मौजूदा संदर्भों में कहीं से कहीं तक प्रासंगिक नहीं है. जो लोग छोटी-मोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर भारत बंद कराने चले आए उन्हें यह सोचना चाहिये कि आजकल कितने सारे काम ऑनलाइन, डिजिटली होने लगे हैं.

इनकी बदौलत भरे लॉकडाउन में यह देश बंद नहीं हो पाया तो अब ये मुट्ठी भर लोग अपने कुत्सित राजनीतिक एजेंडे को लेकर कैसे भारत बंद करा सकते हैं. लेकिन आखिर यह सब क्योंकि उस बिल के विरोध में जो कि किसानों के पक्ष में पारित हुआ है.

एक समाचार चैनल के पत्रकार ने इन प्रदर्शनकारियों से पूछा कि आप यहां क्यों आए हैं और किस बात का विरोध कर रहे हैं तो इस पर कुछ प्रदर्शनकारी बगलें झांकने लगे, कुछ जवाब ना दे सके और कुछ ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, वे बस विरोध करने यहां आ गए हैं या बुलाए गए हैं.

इसी तरह जब एक प्रदर्शनकारी से फसलों पर बात की गई तो उसने बड़े आत्मगविश्वास से कहा कि समर्थन मूल्य घटा दिया गया है इसलिए वे यहां विरोध करने आए हैं. अब यह बड़े मजे की बात है कि इस प्रदर्शनकारी को यह पता ही नहीं है कि समर्थन मूल्य घटा नहीं, बढ़ा दिया गया है. यानी इस विरोध का वास्तविकता से दूर-दूर तक संबंध नहीं है.

खैर, मौखिक विरोध तक तो बात ठीक थी लेकिन ज्यादती वहां हो गई जब पंजाब में नेशनल हाईवे बाधित कर दिया गया और सेना तक के वाहनों को रोक दिया गया. इससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इस दौरान ट्रेनें नहीं चलीं. हरियाणा में पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में असर दिखा, लेकिन शेष हिस्से में हालात सामान्य रहे. कुछ जगह जबरन बाजार बंद कराए गए, जिससे लोगों को जरूरी सामान के लिए परेशानी उठानी पड़ी.

यह संतोष की बात है कि प्रशासन ने कई जिलों में पूरे विरोध प्रदर्शन की वीडियोग्राफी की व्यसवस्था कर रखी थी. इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा जब इन तथाकथित आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जा सकेगा और इनके माध्यम से उन राजनीतिक आकाओं का पता चल सकेगा जो विरोध की राजनीति को चमकाकर अपने पक्ष में माहौल को मोड़ने की बेजा कोशिशों में लगे हैं.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

कृषि सुधार विधेयकों के विरोध में वही तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो सीएए के खिलाफ अपनाए गए थे

▶ राजीव सचान

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने किसानों को राहत देने के लिए लाए गए विधेयकों के खिलाफ वैसा ही अभियान छेड़ दिया है, जैसा उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ छेड़ा था. उस कानून के खिलाफ लोगों को बरगलाने के लिए छल-कपट और झूठ का जमकर सहारा लिया गया था. लोगों और खासकर मुस्लिम समुदाय को बरगलाने के लिए यहां तक कहा गया कि यह कानून उनकी नागरिकता छीनने का काम करेगा. इस अभियान में मीडिया का एक हिस्सा भी शामिल हो गया था और कई कथित बुद्धिजीवी भी इस कानून के खिलाफ जहर उगलने लगे थे. मुस्लिम समुदाय को सड़कों पर उतारकर हिंसक तौर-तरीकों का सहारा लिया जाने लगा था.

विपक्ष ने सीएए के खिलाफ मुस्लिमों को बरगलाकर पूरे देश में धरना-प्रदर्शन और सड़के बाधित की थीं

धरना-प्रदर्शन और सड़कों को बाधित करने का सिलसिला देश भर में कायम हो गया था. बंगाल में रेलें जलाई गईं तो देश के दूसरे हिस्सों में सरकारी-गैर सरकारी वाहन. इसके साथ ही पुलिस पर हमले किए गए. देश की राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग नामक इलाके में सड़क पर कब्जा कर लिया गया, जो करीब सौ दिन तक जारी रहा. इसके चलते दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोग परेशान होते रहे. प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो उसने सड़क खाली कराने के स्थान पर सड़क पर कब्जा करके बैठे लोगों से बात करने के लिए वार्ताकार नियुक्त कर दिए. इससे सड़क पर कब्जा करने वालों का दुस्साहस और बढ़ा, क्योंकि वार्ताकारों की नियुक्ति ने सड़क पर कब्जे को एक किस्म की वैधानिकता प्रदान कर दी.

विपक्ष ने सीएए के खिलाफ मुस्लिम समाज को बरगलाने का काम किया

आखिरकार जब कोरोना का कहर बढ़ने लगा तो दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग को खाली कराने का वह काम किया, जो उसे पहले दिन करना चाहिए था. हालांकि सरकार यह कहती रही कि नागरिकता संशोधन कानून का देश के किसी नागरिक से कोई लेना-देना नहीं, लेकिन मुस्लिम समाज को बरगलाने में जुटे लोग तरह-तरह के कुतर्क देकर यही राग अलापते रहे कि यह कानून उनके खिलाफ ही है.

यदि कोरोना ने दस्तक न दी होती तो शायद शाहीन बाग आज भी प्रदर्शनकारियों के कब्जे में होता

यदि कोरोना ने दस्तक न दी होती तो शायद शाहीन बाग आज भी प्रदर्शनकारियों के कब्जे में होता. इस अंदेशे की एक वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रदर्शन और सड़क पर चलने के अधिकार में संतुलन बनाने की जरूरत है. इसका ठीक-ठीक क्या मतलब है, यह फैसला सामने आने पर ही पता चलेगा.

कृषि विधेयकों के विरोध के लिए सीएए वाले तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं

पता नहीं उसका फैसला क्या होगा, लेकिन इस पर गौर करने की जरूरत है कि कृषि विधेयकों के विरोध के लिए भी वही तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो सीएए के खिलाफ अपनाए गए थे. ये विधेयक किसानों को बिचौलियों और आढ़तियों के वर्चस्व से बचाने के लिए हैं, लेकिन विपक्षी दल उन्हें यह समझा रहे हैं कि उपज बेचने की वही व्यवस्था ठीक थी, जिसमें इन दोनों का आधिपत्य रहता था. एक तरह से किसानों को यह बताया जा रहा है कि जो उनके शोषण में सहायक बन रहे थे, वही उनके मददगार हैं. एक नया शोशा यह छोड़ा गया है कि सरकार इन विधेयकों के जरिये अनाज खरीद की एमएसपी व्यवस्था खत्म करने जा रही है. यह ठीक वैसा ही शोशा है जैसा नागरिकता संशोधन कानून के मामले में इस दुष्प्रचार के जरिये छोड़ा गया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी.

कृषि विधेयकों को सीएए की तरह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है

चूंकि इधर एक नया चलन यह बन गया है कि सरकार के हर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, इसलिए नागरिकता संशोधन कानून के मामले में भी दी गई और दो-चार, दस-बीस नहीं, करीब डेढ़ सौ याचिकाएं दाखिल कर दी गईं. हैरत नहीं कि कृषि विधेयकों के कानून का रूप लेते ही

उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का ढेर लग जाए. केरल सरकार ने अपने विधि विभाग को यह कह ही दिया है कि इन प्रस्तावित कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की संभावनाएं तलाशे. इस तरह की संभावनाएं तमाम अन्य लोग और खासकर प्रशांत भूषण जैसे वकील भी तलाश रहे होंगे. उन्होंने कहा भी है कि राज्यसभा में कृषि विधेयकों को जिस तरह पारित कराया गया, उसके खिलाफ विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए. अभी तक का अनुभव यही कहता है कि अगर उनकी यह सलाह नहीं सुनी गई तो यह काम वह खुद कर सकते हैं. बड़ी बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के अधिकारों को भी चुनौती दे दी जाए.

विरोध के नाम पर विरोध की प्रवृत्ति अंधविरोध का रूप लेती जा रही

पता नहीं आगे क्या होगा, पर इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विरोध के नाम पर विरोध की प्रवृत्ति अंधविरोध का रूप लेती जा रही है. अंधविरोध की इसी खतरनाक प्रवृत्ति के चलते कुतर्कों के साथ झूठ का सहारा बड़ी बहादुरी के साथ लिया जाना आम हो गया है. राज्यसभा में जिन सदस्यों ने हद दर्जे का हंगामा किया और जिसके चलते निलंबन की चपेट में आए, वे खुद को पीड़ित बताने के लिए हरसंभव जतन कर रहे हैं और इस क्रम में इसका जिक्र करने से बच रहे हैं कि वे पीठासीन अधिकारी के सामने मेज पर चढ़कर नारेबाजी करने के साथ धक्कामुक्की भी कर रहे थे.

कांग्रेस और वामदलों के सांसद एक सुर में बोल रहे हैं, सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही

निलंबित सांसदों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा वामपंथी दलों के भी सदस्य हैं. उनकी मानें तो सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है. यह चोरी और सीनाजोरी का सटीक उदाहरण है. इस मामले में कांग्रेस और वामदलों के सांसद एक साथ हैं और एक सुर में बोल रहे हैं, लेकिन 2015 में केरल विधानसभा में बजट पेश किए जाते समय विपक्षी विधायकों के हंगामे से आजिज आकर तत्कालीन सरकार ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी. यह रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई गई थी, क्योंकि हंगामा मचा रहे विधायकों ने अध्यक्ष के आसन के साथ कुर्सियां और माइक तोड़ डाले थे. तब सत्ता में कांग्रेस थी और विपक्ष में वामदल. आज दोनों दल मिलकर हंगामा मचाने की पैरवी कर रहे हैं और हुड़दंगी सांसदों के निलंबन पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म होने को है.

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं. यह लेख दैनिक जागरण से लिया गया है.)

कृषि क्षेत्र का क्रमिक उदारीकरण, क्यों है ये बिल इतना जरूरी?

▶ मोहनदास पई और निशा होला

कृषि विधेयक किसानों को उस निर्णायक मोड़ पर स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं, जब कृषि क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) की संरचना तेजी से बदल रही है. फसलें, विशेष रूप से अनाज का इस क्षेत्र में वर्चस्व था और उसके भंडारण, वितरण एवं आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के नियंत्रण थे. अनाजों के क्षेत्र में किसानों को मांग और आपूर्ति के झटके से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एक तंत्र के रूप में विकसित हुआ. अब हालांकि किसानों एवं कृषि उत्पादकों ने अपने उत्पादों में विविधता लाई है, अनाजों का वर्चस्व नहीं रह गया है और नियंत्रण के पुराने तंत्रों का भी अब प्रभाव नहीं है. किसानों को सीधे बाजार और उपभोक्ताओं से जोड़ने से किसानों की आय 20 से तीस फीसदी बढ़ रही है, जैसा कि पिछले पांच-सात वर्षों में मूल्य प्रस्ताव को मान्यता देने वाले 600 से अधिक एग्री-टेक कंपनियों ने प्रदर्शित किया है. इन रुझानों के मूल्य को कम करने के लिए एक अग्रगामी नीतिगत माहौल की आवश्यकता होती है, जिसे लागू करने के लिहाज से कृषि बिल महत्वपूर्ण हैं.

पिछले दशक में ही, भारत ने कृषि क्षेत्र की जीवीए संरचना में जबर्दस्त बदलाव देखा है. फसलों की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 65.4 फीसदी से घटकर वर्ष 2018-19 में 55.3 फीसदी रह गई और जिसके वर्ष 2024-25 में 45.6 फीसदी तक गिर जाने का अनुमान है. फसलों में मात्र अनाज को एमएसपी का समर्थन मिलता है. इसी अवधि में, पशुधन और मत्स्यपालन के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये बागवानी, दूध और मांस जैसे उप-खंडों के कुल मूल्य उत्पादन हैं. विविधतापूर्ण उत्पादन रणनीति के साथ, जो अनाज पर कम और अन्य क्षेत्रों पर ज्यादा निर्भर है, किसान बेहतर आय प्राप्त कर रहे हैं. अपनी उपज में विविधता लाकर वे एक-फसल के जोखिम से बच रहे हैं.

किसानों को अधिक स्वतंत्र बनाने और उनकी आय क्षमता में सुधार के लिए हाल ही में तीन विधेयक पारित किए गए हैं- किसानों के उत्पाद का व्यापार और वाणिज्य विधेयक; मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर कृषक समझौता विधेयक; और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक. ये विधेयक किसानों को अपनी फसल और उत्पादन में विविधता लाने की स्वतंत्रता देते हैं. वे अब अपनी फसल देश में कहीं भी ज्यादा मूल्य देने वाले को बेच सकते हैं; उन्हें अब मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, जहां वे बिचौलियों और विभिन्न स्तरीय नौकरशाही के अधीन होते हैं. किसानों के लिए अनुबंध खेती अब एक ऐसे फ्रेमवर्क के साथ खोली गई है, जो उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अनुबंध और सुनिश्चित खरीद के जरिये अपने उत्पादों के मूल्यवर्धन में सक्षम बनाता है. एमएसपी को बनाए रखने का मतलब है कि सरकार कुछ फसलों के लिए पूरे नेटवर्क की जिम्मेदारी ले रही है, ताकि किसानों को उन फसलों का सुनिश्चित मूल्य मिल सके. केंद्र सरकार ने सितंबर के अंतिम हफ्ते में एमएसपी पर 1,082 करोड़ रुपये के 5.73 लाख टन धान की खरीदारी की.

किसानों की आजीविका में सुधार के लिए कृषि प्रणाली में संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता थी. उन्हें सब्सिडी पर निर्भर रखना, एपीएमसी द्वारा प्रतिबंधित करना तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसे कानून दीर्घकालीन अर्थों में देशहित में नहीं था. इसे स्वीकार करते हुए मोदी सरकार प्रणाली में क्रमिक बदलाव ला रही है. कृषि उपज के ऑनलाइन व्यापार सुविधा के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) के साथ इसकी शुरुआत हुई. फिर नौ करोड़ सीमांत किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये की न्यूनतम आय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-किसान योजना पेश की गई. इन लाभार्थियों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलता है, जो केवल छह फीसदी किसानों पर लागू होता है, मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि क्षेत्रों में.

पिछले चार महीनों में किसानों की सहायता के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं और बदलाव किया गया है. फसल सीजन के दौरान बड़े कार्यबल और उपकरणों को बनाए रखने के लिए कुल दो लाख करोड़ रुपये के ऋण आवंटन के साथ किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की योजना को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है, जिससे उत्पादन और आय में

वृद्धि हुई है. यह किसानों को आधार से जुड़े औपचारिक क्रेडिट इतिहास का निर्माण करने में सक्षम बनाता है, जिसे कृषि विस्तार और विविधतापूर्ण रणनीतियों के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए भुनाया जा सकता है.

आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में एक लाख करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है, इसका मुख्य फोकस फार्म-गेट, भंडारण स्थल, कृषि उद्यमी, रोग नियंत्रण, शीतगृह व गोदाम और कलस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से माइक्रोफूड उपक्रम तैयार करने पर रहेगा. उप-खंडों के विकास में महत्वपूर्ण अंतरों को पहचानते हुए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लंबे समय से प्रतीक्षित संशोधनों के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जैसे विभिन्न उप-खंडों के लिए लक्षित कार्यक्रम भी शुरू किए गए. कृषि उद्योगों के लिए इन क्रमिक ढांचे के निर्माण का समर्थन करते हुए ये तीनों विधेयक किसानों को खेती करने और उनमें विविधता लाने में सक्षम बनाते हैं. इन विधेयकों के भारी विरोध ने राजनीतिक एवं निहित स्वार्थों को उजागर किया है. इस बीच, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि इन बिलों को लागू करने के दौरान किसानों को मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी जारी रहेगी, इस प्रकार किसानों को मूल्यवान सहायता प्रदान की जाएगी और राहत की निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसान नई रणनीति को अपना सकें. समय के साथ, यह स्वतंत्रता-समर्थन मॉडल किसानों की आय में वृद्धि करेगा और भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र के मौजूदा 17 फीसदी योगदान में वृद्धि करेगा.

यह भारत को अपने कृषि क्षेत्र को निर्यात बाजारों की ओर उन्मुख करने का बहुप्रतीक्षित अवसर भी देता है. भारत ग्रेडिंग, छंटाई और आपूर्ति शृंखला वितरण के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करके आसानी से मौजूदा निर्यात को तीन गुना तक बढ़ा सकता है, जो इन विधेयकों द्वारा दी गई स्वतंत्रता के कारण संभव है. देश और किसानों के पास 70 साल के ठहराव से बाहर निकलने और बड़ा लक्ष्य हासिल करने का एक पीढ़ीगत अवसर है.

(मोहनदास पई एरियन कैपिटल पार्टनर्स के चेयरमैन और निशा होला सी-कैम्प की टेक्नोलॉजी फेलो हैं. यह लेख अमर उजाला से लिया गया है.)

Published by

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone:011-23005850